

विकल्प पत्र

1. नाम – कुलदीप कुमार – प्रथम (Kuldeep Kumar-I)
2. वर्तमान पदनाम – अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, तृतीय, जौनपुर
3. वेतनमान – जे. 5-144840-194660
4. वर्तमान विभाग का नाम – नियुक्ति विभाग (न्याय विभाग)
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर  
भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम – लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
6. विज्ञप्ति की तिथि – 15 नवंबर, 2003 (विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26 मई, 2006 (उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4)  
संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी.-1
8. योगदान की तिथि – 21 जून, 2006
9. जन्म तिथि – 05 अक्टूबर, 1973
10. सेवानिवृत्त की तिथि – 31 अक्टूबर, 2033

मैं कुलदीप कुमार-प्रथम पुत्र श्रवण कुमार शासनादेश संख्या-14/2024/ सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

हस्ताक्षर-

नाम- कुलदीप कुमार-प्रथम (Kuldeep Kumar-I)

पदनाम-अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब  
न्यायालय, तृतीय, जौनपुर

घोषणा पत्र

मैं कुलदीप कुमार-प्रथम (Kuldeep Kumar-I) पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब, न्यायालय, तृतीय, जौनपुर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम- कुलदीप कुमार-प्रथम

पदनाम- अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब  
न्यायालय, तृतीय, जौनपुर

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री कुलदीप कुमार-प्रथम (Kuldeep Kumar-I) पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, तृतीय, जौनपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ( √ ) नवीन पेंशन योजना (x) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति